18 12/23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पूर्व मे दिनांक 16/10/2023 को पक्षकारान द्वारा समझौता आवेदन प्रस्तुत कर समझौते अनुसार प्रकरण

2022/73 निस्तारण बाबत उभय पक्ष ने निवेदन किया। समझौता आवेदन शामिल मिसल किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 3266/1 रकबा 0.22 हे. किस्म आबादी मे नारायणसिंह एवं सज्जन कवर द्वारा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय कर देने से विक्रय अनुसार राजस्व अभिलेख मे सम्पूर्ण भूमि तदनुसार क्रेतागण के नामान्तरण से दर्ज हुई, किन्तु सम्वत 2056-59 की जमाबन्दी मे हुए नामान्तरण अनुसार आगामी चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2060-63 मे दुरूस्त इन्द्राज नही करने से चान्दमल चीपड नारायण सिंह व सज्जनकंवर के विक्रय ...... लगातार

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्र. पत्र 39/2022 (2022/73)	
	के दौरान किसी प्रकार की अशुद्धि हुई है तो राजस्थान भू-राजस्व नियमावली 1957 के नियम 166 के अन्तर्गत फर्द बदर द्वारा शुद्धिकरण का अधिकार भूमिधारी तहसीलदार में निहित है, जिसके लिए तहसीलदार को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act के तहत पोषणीय नही है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Sd/- (रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ	